

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 787

उत्तर देने की तारीख : 23.07.2026

एमएसएमई के लिए औपचारिक ऋण पहुंच

787. डॉ. शशि थरूर:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विशेषरूप से उन रिपोर्टों के आलोक में जिनमें यह संकेत दिया गया है कि अधिकांश पंजीकृत एमएसएमई औपचारिक ऋण प्रणाली से बाहर हैं, देश में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच औपचारिक ऋण पैठ के दायरे का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, केरल सहित पंजीकृत एमएसएमई की राज्य-वार कुल संख्या के मुकाबले संस्थागत ऋण प्राप्त करने वाले पंजीकृत एमएसएमई का ब्यौरा क्या है;
- (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार संस्थागत ऋण प्राप्त करने वाले एमएसएमई के बीच पहली बार ऋण प्राप्त करने वालों की संख्या और उनका अनुपात कितना है; और
- (घ) एमएसएमई, विशेषरूप से पहली बार ऋण लेने वालों और उन उद्यमों के बीच जो औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर हैं, औपचारिक ऋण की पहुंच में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ) : पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) तथा उद्यम असिस्ट पोर्टल (यूएपी) के अंतर्गत कुल पंजीकृत एमएसएमई का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केरल सहित अन्य राज्यों में एमएसएमई के पास बकाया ऋण राशि का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है। वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2025 के दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार 75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने औपचारिक ऋण प्राप्त करने की सूचना दी थी, 8 प्रतिशत ने अनौपचारिक ऋण के स्रोतों पर पूरी तरह से भरोसा दिखाया था जबकि 17 प्रतिशत ने किसी भी प्रकार का ऋण प्राप्त नहीं किया था। इसके अतिरिक्त सरकार ने अन्य उपायों के साथ-साथ केरल सहित देशभर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच औपचारिक ऋण की पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं :-

- i. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के जरिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) का कार्यान्वयन किया जाता है ताकि एमएसई को किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्यूरिटी और तृतीय पक्षकार गारंटी के बिना दिए जाने वाले ऋण के लिए 10 करोड़ रुपए तक की गारंटी कवरेज के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान की जा सके।
- ii. एमएसएमई में इक्विटी फंडिंग के रूप में 50,000 करोड़ रुपए समाविष्ट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष की स्थापना की गई है जिसमें सरकार से 10,000 करोड़ रुपए तथा प्राइवेट इक्विटी/वेंचर कैपिटल निधियों के जरिए 40,000 करोड़ रुपए के समावेशन का प्रावधान किया गया है। बजट 2026-27 में सूक्ष्म उद्यमों को इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए एसआरआई कोष को बढ़ाने हेतु 2,000 करोड़ रुपए की सहायता की भी घोषणा की गई है।
- iii. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में विनिर्माण के लिए 50 लाख रुपए तक की परियोजना लागत तथा सेवा उद्यमों के लिए 20 लाख रुपए तक की परियोजना लागत के साथ नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने के लिए 35 प्रतिशत तक की मार्जिन मनी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

- iv. पीएम विश्वकर्मा स्कीम की शुरुआत सितंबर 2023 में की गई थी ताकि 18 विशिष्ट व्यापारों ने संलग्न कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान की जा सके। इस स्कीम में 8 प्रतिशत तक के ब्याज सब्वेंशन के साथ 3 लाख रुपए तक के कोलेटरल मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है।
- v. आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) की शुरुआत मई, 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भाग के रूप में की गई थी ताकि कोविड-19 महामारी के कारण हुए व्यवधान के चलते पात्र एमएसएमई और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने में सहायता प्रदान की जा सके। हाल ही में पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने ईसीएलजीएस 5.0 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य मौजूदा ऋणप्राप्तकर्ताओं को लिक्विडिटी की चुनौतियों से निपटने के लिए ₹ 2,55,000 करोड़ का अतिरिक्त ऋण प्रदान करना है। यह चरणों में जारी किया जाएगा, जिसकी शुरुआत ₹ 1,05,000 करोड़ की प्रारंभिक किश्त से होगी, जिसमें विशेष रूप से अनुसूचित यात्री एयरलाइन क्षेत्र के लिए ₹ 5,000 करोड़ निर्धारित हैं। इस योजना में ₹ 18,100 करोड़ का कोष है।
- vi. भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में सूक्ष्म उद्यमों के लिए एक अनुकूलित क्रेडिट कार्ड उत्पाद की घोषणा की, जिसमें उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा रखी गई है और पहले वर्ष में, ऐसे 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।
- vii. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल शुरू किया गया है। यह क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल इकोसिस्टम तंत्र में उपलब्ध डिजिटल रूप से प्राप्त और सत्यापन योग्य डेटा का उपयोग करता है और सभी ऋण आवेदनों के लिए वस्तुनिष्ठ निर्णय का उपयोग करके एमएसएमई ऋण मूल्यांकन के लिए स्वचालित प्रक्रियाएं तैयार करता है और बैंक में मौजूदा तथा साथ ही नए एमएसएमई उधारकर्ताओं दोनों के लिए मॉडल-आधारित सीमा का मूल्यांकन करता है।
- viii. सरकार एमएसएमई के बीच ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एमएसएमई/उद्योग विभागों और सीजीटीएमएसई, सिडबी, बैंकों, एमएसएमई संघों आदि जैसे अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करके नियमित रूप से आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में सिडबी-ट्रांसयूनियन सिविल एमएसएमई पल्स रिपोर्ट (जुलाई-2026) के अनुसार वाणिज्यिक ऋण में नए ऋण प्राप्तकर्ताओं (एनटीसी) की हिस्सेदारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	हिस्सेदारी
वित्त वर्ष 2024	55%
वित्त वर्ष 2025	47%
वित्त वर्ष 2026	42%

“एमएसएमई के लिए औपचारिक ऋण पहुंच” पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 787, जिसका उत्तर दिनांक 23.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उद्यम और यूएपी के अंतर्गत राज्य-वार पंजीकृत कुल एमएसएमई (उद्यमों की संख्या लाख में)				
क्र.सं.	राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26
1	अंडमान और निकोबार	0.05	0.04	0.04
2	आंध्र प्रदेश	13.14	14.17	8.42
3	अरुणाचल प्रदेश	0.11	0.15	0.15
4	असम	4.02	4.70	4.73
5	बिहार	16.31	11.27	9.93
6	चंडीगढ़	0.22	0.17	0.18
7	छत्तीसगढ़	4.74	3.93	3.03
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.09	0.07	0.08
9	दिल्ली	4.19	3.17	3.73
10	गोवा	0.46	0.32	0.24
11	गुजरात	13.85	9.85	9.39
12	हरियाणा	5.18	5.41	5.00
13	हिमाचल प्रदेश	0.88	1.01	0.76
14	जम्मू एवं कश्मीर	2.91	2.19	1.52
15	झारखंड	6.13	3.74	3.41
16	कर्नाटक	15.35	17.08	9.85
17	केरल	6.21	5.05	3.98
18	लद्दाख	0.07	0.04	0.03
19	लक्षद्वीप	0.00	0.01	0.003
20	मध्य प्रदेश	13.70	13.74	9.96
21	महाराष्ट्र	27.22	25.60	22.75
22	मणिपुर	0.47	0.45	0.46
23	मेघालय	0.16	0.21	0.31
24	मिजोरम	0.16	0.14	0.12
25	नागालैंड	0.26	0.18	0.21
26	ओडिशा	10.41	5.83	5.70
27	पुदुचेरी	0.36	0.31	0.21
28	पंजाब	5.94	5.76	4.62
29	राजस्थान	11.29	12.47	10.45
30	सिक्किम	0.08	0.13	0.11
31	तमिलनाडु	17.67	16.64	13.83
32	तेलंगाना	10.20	8.92	15.34
33	त्रिपुरा	1.69	0.68	0.58
34	उत्तराखंड	2.10	1.54	1.60
35	उत्तर प्रदेश	25.18	20.13	22.31
36	पश्चिम बंगाल	27.64	10.92	10.62
	कुल	248.44	206.03	183.63

“एमएसएमई के लिए औपचारिक ऋण पहुंच” पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 787, जिसका उत्तर दिनांक 23.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(खातों की संख्या लाख में, बकाया राशि करोड़ रुपए में)							
एमएसएमई के पास बकाया ऋण राशि							
क्र.सं.	राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2025-26	
		खातों की संख्या	बकाया ऋण राशि	खातों की संख्या	बकाया ऋण राशि	खातों की संख्या	बकाया ऋण राशि
1	अंडमान और निकोबार	0.08	989.97	0.07	1,031.14	0.07	1,171.10
2	आंध्र प्रदेश	12.06	1,01,085.90	9.67	1,07,816.24	9.03	1,22,789.06
3	अरुणाचल प्रदेश	0.12	1,514.76	0.14	2125.10	0.13	2,843.16
4	असम	3.57	28,729.48	3.66	33,829.83	3.58	40,930.45
5	बिहार	12.35	51,766.42	11.94	63,666.35	12.80	80,801.31
6	चंडीगढ़	0.47	14,634.23	0.44	16,688.12	0.42	21,760.59
7	छत्तीसगढ़	3.94	43,694.34	4.17	51,263.49	5.68	67,800.27
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.10	23,45.29	0.10	2,822.84	0.11	3,133.57
9	दिल्ली	6.95	1,79,638.00	5.50	1,92,994.77	5.48	2,55,588.18
10	गोवा	0.56	7,350.41	0.49	8,312.40	0.49	9,238.03
11	गुजरात	11.90	2,51,504.11	13.58	2,95,172.96	14.15	3,74,092.45
12	हरियाणा	6.75	1,22,258.78	6.79	1,47,544.70	7.19	1,89,555.61
13	हिमाचल प्रदेश	1.52	1,61,47.28	1.48	18,912.60	1.55	22,933.37
14	जम्मू एवं कश्मीर	3.86	24,036.19	3.87	24,595.20	4.20	29,894.93
15	झारखंड	6.16	34,398.89	5.50	39,846.34	5.80	50,438.36
16	कर्नाटक	16.07	1,65,082.73	15.76	1,88,130.80	14.34	2,34,997.99
17	केरल	11.32	85,221.33	7.48	99,818.56	8.43	99,366.73
18	लद्दाख	0.09	745.13	0.11	1,098.13	0.10	2,033.05
19	लक्षद्वीप	0.01	625.99	0.01	24.52	0.01	27.23
20	मध्य प्रदेश	15.14	1,01,220.23	15.31	1,17,419.47	14.28	1,46,980.08
21	महाराष्ट्र	29.81	4,25,437.84	28.67	4,57,942.31	28.20	5,84,530.25
22	मणिपुर	0.37	1,534.83	0.35	1,691.62	0.30	1,964.25
23	मेघालय	0.21	1,834.20	0.25	2,272.20	0.25	2,923.37
24	मिजोरम	0.12	851.34	0.13	970.88	0.13	1,398.60
25	नागालैंड	0.22	1,268.83	0.25	1,476.94	0.24	2,470.52
26	ओडिशा	8.82	53,516.04	7.45	62,994.99	7.30	77,748.46
27	पुदुचेरी	0.49	4,082.11	0.51	4,733.69	0.45	5,893.64
28	पंजाब	6.48	96,611.66	6.12	1,07,259.73	6.07	1,30,746.02
29	राजस्थान	11.03	1,51,219.10	11.42	1,79,488.95	12.35	2,23,018.48
30	सिक्किम	0.14	1,997.76	0.11	1,141.51	0.13	1,275.23
31	तमिलनाडु	23.50	2,81,696.93	21.06	3,20,490.55	19.17	3,63,713.45
32	तेलंगाना	7.52	1,16,962.81	7.87	1,35,268.94	6.94	1,64,707.66
33	त्रिपुरा	1.02	2,978.15	1.13	3,644.44	1.16	4,620.33
34	उत्तराखंड	2.69	26,006.06	5.03	53,164.23	2.34	36,185.72
35	उत्तर प्रदेश	27.45	1,95,413.75	24.63	2,14,625.72	26.80	2,93,381.50
36	पश्चिम बंगाल	24.55	1,31,256.60	22.10	1,48,637.57	22.02	1,84,400.60
	कुल	257.45	27,25,657.46	243.15	31,08,917.82	241.68	38,35,353.58

स्रोत: एससीबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता क्षेत्र रिटर्न